



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-02072024-255071  
CG-MH-E-02072024-255071

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2391]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/ आषाढ 10, 1946

No. 2391]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ ASHADHA 10, 1946

रेल मंत्रालय

( मध्य रेलवे )

अधिसूचना

मुंबई, 1 जुलाई, 2024

का.आ. 2520(अ).— केन्द्रीय सरकार ने रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) एवं रेलवे (संशोधन) अधिनियम 2008 (2008 का 11)(जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20 'क' की उप-धारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 19 सितम्बर 2022 में प्रकाशित भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्या का. आ. 4381 (E) तारीख 19 सितम्बर 2022 (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को महाराष्ट्र राज्य के धुले जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात् "पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" की विशेष रेल परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के आशय की घोषणा की थी ।

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उप धारा (4) के अधीन विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी (१) (यूटीपीएच) जलगांव, जिला दैनिक सामाचार पत्रों अर्थात् "दैनिक पुण्यनगरी", दैनिक आव्हान और "दैनिक देशदूत" में तारीख 17-10-2023 एवं 31-10-2023 को प्रकाशित किया गया था ।

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे।

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

अतः अब केंद्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी।

और यह कि केंद्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उप-धारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलंगमों से मुक्त होकर केंद्रीय सरकार में आत्यांकित रूप से निहित हो जाएगी।

### अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले के अंतर्गत 2 गाँवों का विशेष रेल परियोजना "पाचोरा - जामनेर का मलकापुर तक विस्तार - नैरो गेज से ब्रॉड गेज" के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना या उसके रहित संक्षिप्त विवरण।

अ. क्र.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	सर्वे नं/ गट नं.	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	7/12 अनुसार भूधारक का नाम
1	27/2023	टाकली बु.	जामनेर	53/2/1/अ	0.55	रेखा शामकांत चौधरी
2				53/2/1/ब	0.19	दगडु दयाराम मोरे
3				53/2/2	0.30	प्रविण इंद्रचंद्र डांगी, पुष्पा प्रविण डांगी
				53/2/3		प्रविण इंद्रचंद्र डांगी
4				55/1	0.14	सुभाष दत्तात्रय माली
5				55/2	0.83	पुष्पा संजय डांगी, विनोद इंद्रचंद्र डांगी सामाईक क्षेत्र
6				64/2/ब	0.60	भागवत हरी वाघ
7				64/1/3	0.11	भारत नथ्यू सोनार
8				66	1.25	अर्चना रवींद्र पाटील
9				67/3	0.46	गणेश समाधान पाटील मुकुंदा समाधान पाटील
10				80/2/ ब	0.47	छाया युवराज पाटील इंदुबाई शिवाजी पाटील
11				81	0.38	वैजंता सूर्यभान सपकाळ आत्माराम किसन सपकाळ
12				82 पै	0.13	पंडीत मारोती माली
13				82 पै	0.14	संगिता सुरेश माली
14	83	0.10	लक्ष्मण बाबु पंडीत			
			<b>कुल</b>	<b>5.65</b>		
1	34/2023	मोयगांव बु	जामनेर	125/2	0.42	मुरलीधर लक्ष्मण धनगर
				125/2	0.13	परमेश्वर मुकुंदा कवडे
2				150/1	0.27	गोपाल भिमराव पाटील
3				150/2	0.19	गोपालसिंग विठ्ठलसिंग पाटील
4		152	0.68	विमलबाई गोपालसिंग पाटील, गोपालसिंग चतरसिंग पाटील,		

अ. क्र.	भू संपादन प्रकरण क्रमांक	गाँव का नाम	तालुका	सर्वे नं/ गट नं.	संपादित क्षेत्र (हे.आर.)	7/12 अनुसार भूधारक का नाम
						चिंचनसिंग गोपालसिंग पाटील
5				153/1	0.32	कांतीलाल चुनिलाल भंडारी
6				153/2	0.32	सुधीर श्रीराम पाटील
7				कुल	2.33	
				कुल योग	7.98	

[फा. सं. G197/2024/GOM/PC-JMNR/July/20E]

अवनीश कुमार पाण्डेय, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

## MINISTRY OF RAILWAYS

(Central Railway)

## NOTIFICATION

Mumbai, the 1st July, 2024

**S.O. 2520(E).**—Whereas, by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O 4381 (E) dated 19<sup>th</sup> September 2022 published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3 Sub-section (ii), dated the 19<sup>th</sup> September 2022 (hereinafter referred to as the said notification ) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) and Railway (Amendment) Act, 2008 (11 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declares its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for the purpose of execution, maintenance, management and operation of Special Railway Project, namely “**Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge**” in the district of **Jalgaon** in the State of Maharashtra.

And whereas, the substance of the said notification was published in for SLAO(1)UTPH.Jalgaon **daily Marathi newspapers namely “Dainik Punyanagari” “Dainik Avhan” & “Dainik Deshdoot”** Dated 17-10-2023 & 31-10-2023 under sub section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received.

And whereas, in pursuance of sub-section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the report of the Competent Authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette, the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central government free from all encumbrances.

## SCHEDULE

**Brief description of the land to be acquired, with or without structures, falling within the Special Railway Project of Pachora-Jamner with Extension upto Malkapur-Narrow Gauge to Broad Gauge for 2 villages in the District Jalgaon in the State of Maharashtra**

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of village	Taluka	Survey No./ Gutt No.	Acquisition Area (H.R)	Land Owners Name
1	2	3	4	5	6	7
1	27/2023	Takali Budruk	Jamner	53/2/1/A	0.55	Rekha Shyamkant Chaudhari
2				53/2/1/B	0.19	Dagadu Dayaram More
3				53/2/2	0.30	Pravin Indarchandra Dangi, Pushpa Pravin Dangi
				53/2/3		Pravin Indarchandra Dangi
4			55/1	0.14	Subhash Dattatray Mali	

S.N.	Land Acquisition Case No.	Name of village	Taluka	Survey No./ Gutt No.	Acquisition Area (H.R)	Land Owners Name
1	2	3	4	5	6	7
5				55/2	0.83	Pushpa Sanjay Dangi, Vinod Indarchand Dangi Samayik Kshetra
6				64/2/अ	0.60	Bhagwat Hari Wagh
7				64/1/3	0.11	Bharat Natthu Sonar
8				66	1.25	Archana Ravindra Patil
9				67/3	0.46	Ganesh Samadhan Patil Mukunda Samadhan Patil
10				80/2/B	0.47	Chaya Yuvraj Patil Indubai Shivaji Patil
11				81	0.38	Vaijanta Suryabhan Sapkal Aatmaram Kisan Sapkal
12				82 Out of	0.13	Pandit Maruti Mali
13				82 Out of	0.14	Sangita Suresh Mali
14				83	0.10	Laxman Babu Pandit
				<b>Total</b>	<b>5.65</b>	
1	34/2023	Moygaon Budruk	Jamner	125/2	0.42	Murlidhar Laxman Dhangar
2				125/2	0.13	Parmeshwar Mukunda Kavde
3				150/1	0.27	Gopal Bhimrao Patil
4				150/2	0.19	Gopalsingh Vitthalsingh Patil
5				152	0.68	Vimalbai Gopalsingh Patil, Gopalsingh Chatarsingh Patil, Chinchansingh Gopalsingh Patil
6				153/1	0.32	Kantilal Chunilal Bhandari
7				153/2	0.32	Sudhir Shriram Patil
				<b>Total</b>	<b>2.33</b>	
				<b>Grand Total</b>	<b>7.98</b>	

[F.No. G197/2024/GOM/PC-JMNR/July/20E]

AVANISH KUMAR PANDEY, Chief Administrative Officer (Construction)